संख्या-57/2024/001-967-2-12-5099-26-2024

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 27 सितंबर, 2024**

विषयः- वर्ष 2024-25 में नेशलन मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना के अनुदान संख्या-83 में पुनर्विनियोग के माध्यम से केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/बाढ़ो०यो०/317/पुनर्विनियोग/नमामि गंगे/2024-25, दिनांक 28 अगस्त, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0112-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 30.00 लाख, 42-अन्य व्यय में रू० 153.10 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू० 24.00 लाख एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू० 3.90 लाख कुल केन्द्रांश रू० 211.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8912-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 20.00 लाख, 42-अन्य व्यय में रू० 102.07 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू० 16.00 लाख एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू० 2.60 लाख कुल राज्यांश रू० 140.67 लाख अर्थात **केन्द्रांश व राज्यांश सहित कुल धनराशि रू० 351.67 लाख (रूपये तीन करोड़ इक्यावन लाख सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न प्रपत्रों बी०एम०-9(भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर०ई०संख्या--बजट-1-68, दिनांक 20 सितम्बर, 2024 एवं आर०ई०-संख्या-बजट-1-69, दिनांक 20 सितम्बर, 2024 में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.07.2024 एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।
6. उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित निर्देशो/प्राविधानों के अनुसार कोषागार से आहरित कर योजना के S.N.A. एकाउन्ट में रखे जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्दशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2402007890112 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	27 सब्सिडी	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
2	083	2402007890112 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	42 अन्य व्यय	1,53,10,000 (रुपये एक करोड़ तिरेपन लाख दस हजार मात्र)
3	083	2402007890112 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	24,00,000 (रुपये चौबीस लाख मात्र)
4	083	2402007890112 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,90,000 (रुपये तीन लाख नब्बे हजार मात्र)
	कुल			**2,11,00,000 (रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	27 सब्सिडी	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
2	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	42 अन्य व्यय	1,02,07,000 (रुपये एक करोड़ दो लाख सात हजार मात्र)
3	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
4	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,60,000 (रुपये दो लाख साठ हजार मात्र)
	कुल			**1,40,67,000** **(रुपये एक करोड़ चालीस लाख सड़सठ हजार मात्र)**

महायोग	3,51,67,000 (रुपये तीन करोड़ इक्यावन लाख सड़सठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-57/2024/001-967-2-12-5099-26-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12-5099/26/2024-कृषि अनुभाग-5-कृषि विभाग I/748525/2024

बी एम-8 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20242025-867-12-5099-26-2024

विषय:- नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत नमामि गंगे योजना के अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	सेवाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2401007890123 (फूड एण्ड न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी (कृषि उन्नति योजना) (के.60/रा.40-के.))	27 (मल्टिंडी)	25,64,15,000 रुपये पच्चीस करोड़ चौंसठ लाख पन्द्रह हजार मात्र	25,64,15,000 रुपये पच्चीस करोड़ चौंसठ लाख पन्द्रह हजार मात्र	-2,11,00,000 रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख मात्र	21100000	23531500	2024-2025

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	सेवाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	0 शून्य	24,00,000 रुपये चौबीस लाख मात्र	2400000	2400000	2024-2025
083	2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	0 शून्य	3,90,000 रुपये तीन लाख नब्बे हजार मात्र	3,90,000	3,90,000	2024-2025
083	2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	27 (मल्टिंडी)	0 शून्य	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	30,00,000	3000000	2024-2025
083	2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	42 (अन्य व्यय)	0 शून्य	1,53,10,000 रुपये एक करोड़ तिरेपन लाख दस हजार मात्र	1,53,10,000	1,53,10,000	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1-स्तम्भ-2 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- केन्द्र पुरोनिधानित फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी(कृषि उन्नति योजना) में अनुदान संख्या-83 में कार्ययोजना से अधिक प्राविधान होने के कारण बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में योजना का संचालन हेतु भुगतान पीएफएमएस से किये जाने के फलस्वरूप नवसृजित सेवाशीर्षक में केन्द्रांश का प्राविधान कराये जाने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-< बजट-1-68 >-2024-25, दिनांक 20 सितंबर, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 20-09-2024 15:18:20
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20242025-967-12-5099-26-2024, दिनांक सितंबर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (डी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1

(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12-5099/26/2024-कृषि अनुभाग-5-कृषि वित्तीय I/748538/2024

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20242025-967-1-12-5099-26-2024

विषय:- नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत नमामि गंगे योजना के अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2401007898923 (फूड एण्ड न्यूट्रीशियन मिक्सोरिटी (कृषि उन्नति योजना))	27 (सब्सिडी)	17,09,06,000 रुपये सत्रह करोड़ नौ लाख छह हजार मात्र	17,09,06,000 रुपये सत्रह करोड़ नौ लाख छह हजार मात्र	1,40,67,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख सड़सठ हजार मात्र	14067000	14-067000	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	42 (अन्य व्यय)	0 शून्य	1,02,07,000 रुपये एक करोड़ दो लाख सात हजार मात्र	10207000	10207000	2024-2025
083	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	27 (सब्सिडी)	0 शून्य	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	2000000	2000000	2024-2025
083	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	44 (प्रशिक्षण हेतु दाता एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	0 शून्य	16,00,000 रुपये सोलह लाख मात्र	1600000	1600000	2024-2025
083	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	0 शून्य	2,60,000 रुपये दो लाख साठ हजार मात्र	260000	260000	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ. जेएफ पुरोनिधानित फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी(कृषि उन्नति योजना) में अनुदान संख्या-83 में कार्ययोजना से अधिक प्रावधान होने के कारण बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब. भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में योजना का संचालन हेतु भुगतान पीएफएमएस में किये जाने के फलस्वरूप नवसृजित लेखाशीर्षक में केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश का प्रावधान कराये जाने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिभाषाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-< बजट-1-69 20 > -2024-25, दिनांक- सितंबर, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (सेवा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 20-09-2024 15:23:54

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12-5099/26/2024-कृषि अनुभाग-5-कृषि विभाग I/748538/2024

~~संख्या-A012-20242025-967-1-12-5099-26-2024, दिनांक- दिसंबर, 2024~~

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (बी0ए0प्र0-9 तीन प्रतियों में)।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।